

2021
462

स्वारीज

सरवर्क

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, बनेड़ा

किस्म मुकदमा	मुकदमा नं. एवं वर्ष	तारीख दायर	ग्राम का नाम	तारीख फैसल	नं. फैसल	तारीख फैशी
उर्दना पत्र	377 2021	30-12-21	महुआ खुर्द			

अनवान



श्री मिहु लाल पिता देवा लाल श्रीक बनाम श्री राज० सरकार जरीय TDR बनेडा
निवासी महुआ खुर्द

"खाता दुरुस्ती आवेदन-पत्र"
(राज. भू. राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136)

सेवामें,

श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय
बनेडा

विषय:- राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम महुआ खुर्द की जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 के खाता संख्या 254, 795 में देवा पुत्र बगल $\frac{1}{2}$ देवा पुत्र बगल $\frac{1}{2}$ अर्थात् 148, 253, 548 में देवा पुत्र बगल $\frac{1}{2}$ बजाय देवा पुत्र बगल $\frac{1}{2}$ अर्थात् 148, 253, 548 में देवा पुत्र बगल $\frac{1}{2}$ बजाय देवा पुत्र बगल $\frac{1}{2}$ अतः उक्त दुरुस्ती किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करें।

प्रार्थी मि. ल.

मिठुलाल मिश्र देवा पुत्र बगल
(महुआ खुर्द)

दिनांक:- 08/11/2021

रिपोर्ट-पटवारी एवं भूअ.निरीक्षक महुआ खुर्द

महोदयजी,

निवेदन है कि ग्राम महुआ खुर्द के राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 के खाता संख्या 254, 795, 148 में प्रार्थी का नाम देवा पुत्र बगल बरकत है। जबकि मुताबिक संलग्न आधार कार्ड महुआ खुर्द व जानकारी के अनुसार खातेदार का सही नाम देवा पुत्र बरकत है। जो संशोधित किया जाना उचित है। अतः रिपोर्ट श्रीमान् की सेवा में पेश है।

भूअ.नि. महुआ खुर्द

देवा पुत्र बरकत देवा पुत्र बगल
पटवारी महुआ खुर्द

रिपोर्ट तहसीलदार/नायब तहसीलदार

प्रार्थी द्वारा रा0भू0राज0 अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर राजस्व रिकॉर्ड में स्वयं का/पिता नाम दुरुस्त करवाने हेतु निवेदन किया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर रिपोर्ट पटवारी महुआ खुर्द व भूअ0नि0 महुआ खुर्द एवं प्रार्थी द्वारा संलग्न दस्तावेज के आधार पर ग्राम महुआ खुर्द की जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 की खाता संख्या 254, 795 में देवा पुत्र बगल $\frac{1}{2}$ के स्थान पर देवा पुत्र बरकत किये जाने हेतु अभिशंभा की जाती है।

प्रार्थी का नाम देवा पुत्र बरकत देवा पुत्र बगल
जाना सं. 148, 253, 548 में देवा पुत्र बरकत $\frac{1}{2}$ बजाय देवा पुत्र बरकत $\frac{1}{2}$

तहसीलदार/नायब तहसीलदार (भू.अ.)
बनेडा (मीलवाडा)

पु.सं. 377/21

आदेश
मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार बनेडा ग्राम महुआ खुर्द जमाबन्दी सम्वत् 2074-2077 के खाता संख्या 254, 795 में दर्ज प्रार्थी का नाम देवा पुत्र बरकत देवा पुत्र बगल के स्थान पर देवा पुत्र बरकत देवा पुत्र बगल के स्थान पर देवा पुत्र बरकत देवा पुत्र बगल अर्थात् 148, 253, 548 में देवा पुत्र बरकत $\frac{1}{2}$ बजाय देवा पुत्र बरकत $\frac{1}{2}$ अतः उक्त संशोधन किया जाना उचित है।
उपखण्ड अधिकारी बनेडा (मील0)

"खाता दुरुस्ती आवेदन-पत्र"
(राज. मू. राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136)

सेवामें,

श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय
बनेडा

विषय:- राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती के संबंध में।

महोदय,

उपर्यक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम महुआरपुर की
जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 के खाता संख्या 254, 795 में देवा पुत्र बगल 1/2
देवा पुत्र बगल 1/2 और देवा पुत्र बगल 1/2 भील
जमा सं. 148, 253, 548 में देवा पुत्र बगल की बजाय देवा पुत्र बगल
अतः उक्त दुरुस्ती किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करें।

दिनांक- 08/11/2021

प्रार्थी
मिठुलाल शिवा देवा भील
()

रिपोर्ट-पटवारी एवं मू.अ.निरीक्षक महुआरपुर

महोदयजी,

निवेदन है कि ग्राम महुआरपुर के राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 के
खाता संख्या 254, 795 में प्रार्थी का नाम देवा पुत्र बगल बगल है। जबकि मुताबिक
संलग्न 253, 548 जमाबन्दी के अनुसार खातेदार का सही नाम देवा पुत्र बगल है। जो
संशोधित किया जाना उचित है। तथा जमा सं. 254, 795 में देवा पुत्र बगल 1/2 + 1/2 = 5/12 शिवा देवा
अतः रिपोर्ट श्रीमान् की सेवा में पेश है।

महुआरपुर
7-11-2021

देवा पुत्र बगल शिवा देवा भील
पटवारी
पं. म. शिवा

रिपोर्ट तहसीलदार/नायब तहसीलदार

प्रार्थी द्वारा रा0मू0राज0 अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर
राजस्व रिकॉर्ड में स्वयं का/पिता नाम दुरुस्त करवाने हेतु निवेदन किया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना
पत्र पर रिपोर्ट पटवारी महुआरपुर व मू0अ0नि0 महुआरपुर एवं प्रार्थी द्वारा संलग्न दस्तावेज के
आधार पर ग्राम महुआरपुर की जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 की खाता संख्या 254, 795 में देवा पुत्र बगल
देवा पुत्र बगल 1/2 और देवा पुत्र बगल 1/2 भील के बजाय देवा पुत्र बगल 5/12 शिवा देवा
जमा सं. 148, 253, 548 में देवा पुत्र बगल की बजाय देवा पुत्र बगल
अतः उक्त दुरुस्ती किये जाने हेतु अभिशांषा की जाती है।
तहसीलदार (म. अ.)
बनेडा जिला भीलवाडा

प० सं० 377/21

आदेश

मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार महुआरपुर ग्राम महुआरपुर जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077
खाता संख्या 254, 795 में प्रार्थी का नाम देवा पुत्र बगल 1/2 देवा पुत्र बगल 1/2 के बजाय देवा पुत्र बगल 5/12
जमा सं. 148, 253, 548 में देवा पुत्र बगल की बजाय देवा पुत्र बगल
संशोधन के आदेश दिखे जाते हैं।

देवा व शिवा पुत्र बगल शिवा देवा भील
उपखण्ड अधिकारी
बनेडा (भील0)